



Chec Sidner

TEU JAN

मई 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश		3
>	अप्रैल GST संग्रह में मध्य प्रदेश शीर्ष पर	3
>	जैवविविधता अधिनियम 2002	3
>	अवैध रेत खनन	5
>	कुनो राष्ट्रीय उद्यान का चीता भटककर राजस्थान पहुँचा	ć
>	सरकारी स्कूलों का निम्नस्तरीय बुनियादी ढाँचा	8
>	मध्य प्रदेश में नौ सीटों पर मतदान	8
	मध्य प्रदेश में पुनर्मतदान	Ģ
>	केंद्र की स्वीकृति मिलते ही मध्य प्रदेश में CAA लागू	10
>	ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन	10
>	जैवविविधता अधिनियम लागू करने हेतु समिति	11
>	दितया- भारत का तीसरा सबसे गर्म स्थान	12
>	भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम	13
>	GAIL का पेट्रोकेमिकल यूनिट में निवेश	14
>	न्यायमूर्ति शील नागूः नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	15
>	मध्य प्रदेश पर्यटन ने बनाया नया रिकॉर्ड	15
>	मध्य प्रदेश का बौद्ध सर्किट	16
>	यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भीषण आग	18
>	मध्य प्रदेश में लू से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत	18
>	मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन	19
>	मध्य प्रदेश STSF ने विदेशी सामान जब्त किया	21
>	मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ मिलीं	21
>	मध्य प्रदेश की नदियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण	23
>	मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट	24

मध्य प्रदेश

अप्रैल GST संग्रह में मध्य प्रदेश शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष में <mark>वस्तु एवं सेवा कर (GST)</mark> संग्रह में 30% की वृद्धि हासिल करके भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

मुख्य बिंदुः

- अप्रैल में देश में GST राजस्व संग्रह में 11% की बढ़ोतरी देखी गई।
- वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में कुल GST संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने के साथ देश ने एक ऐतिहासिक उपलिब्धि हासिल की।
- राज्य में कुल पंजीकृत GST भुगतानकर्त्ताओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- GST एक मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं
 द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे सामान और सेवाएँ बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है।
- GST की विशेषताएँ:
 - आपूर्ति पक्ष पर लागू: GST वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू होता है।
 - गंतव्य आधारित कराधान: GST मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
 - **ड्युअल GST:** यह **ड्युअल** GST है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ समान आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले GST को केंद्रीय GST (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले GST को राज्य GST (SGST) कहा जाता है।
 - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और लागू सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधीन होगा।
 - ◆ GST दरें पारस्पिरक रूप से तय की जाएंगी: CGST, SGST और IGST केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारस्पिरक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। दरें GST पिरषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाती हैं।
 - ◆ एकाधिक दरें: प्रारंभ में GST चार दरों पर लगाया गया था- 5%, 12%, 16% और 28%। इन कई स्लैबों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची GST परिषद द्वारा तैयार की जाती है।

जैवविविधता अधिनियम 2002

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार ज़िले में बाओबाब वृक्षों की अनाधिकृत कटाई के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जैवविविधता अधिनियम 2002 (Biodiversity Act 2002) के नियमों को लागू करने का आदेश दिया।

प्रमुख बिंदु

- न्यायालय के एमिकस क्यूरी (निष्पक्ष सलाहकार) द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मध्य प्रदेश में **जैवविविधता अधिनियम 2002** का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बाओबाब वृक्षों की कथित अवैध कटाई पर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेने और मामले पर जनिहत
 याचिका (Public Interest Litigation- PIL) के रूप में सुनवाई शुरू करने के बाद राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
- सिमिति की रिपोर्ट पर गौविचार करने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर सिमिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने को कहा।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

 यह अधिनियम वर्ष 2002 में लागू िकया गया था, इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके सतत् उपयोग का प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण है।



बाओबाब वृक्ष

- वृक्षों के प्रकार: बाओबाब पर्णपाती वृक्ष हैं जिनकी ऊँचाई 5 से 20 मीटर तक होती है।
 - ◆ पर्णपाती वन मुख्य रूप से चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों से युक्त वनस्पित है जो **किसी मौसम में अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं**।
- अफ्रीकी बाओबाब (Adansonia digitata) बाओबाब की नौ प्रजातियों में से एक है और मुख्य भूमि अफ्रीका का स्थानिक
 है। ये अफ्रीकी सवाना में भी पाए जाते हैं।
 - ♦ अफ्रीकी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र एक उष्णकिटबंधीय घासभूमि है, जहाँ वर्ष भर तापमान गर्म रहता है तथा गर्मियों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा होती है।
- ट्री ऑफ लाइफ: चूँकि अफ्रीकी बाओबाब एक सक्यूलेंट्स है, जो बरसात के मौसम के दौरान यह अपने विशाल तने में जल को अवशोषित और संग्रहीत करता है, जिससे यह शुष्क मौसम में पोषक तत्त्वों से भरपूर फल देने में सक्षम होता है जबिक चारों ओर सूखा और शुष्क मौसम होता है।

अवैध रेत खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मध्य प्रदेश में अवैध रूप से खनन की गई रेत** का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ने एक पुलिस अधिकारी को टक्कर मार दी थी।

मुख्य बिंदुः

- मध्य प्रदेश में <mark>अवैध रेत खनन</mark> बड़े पैमाने पर हो रहा है, **सोन नदी** के किनारे से सैकड़ों डंपर रेत का परिवहन कर रहे हैं।
- रेत खनन बाद के प्रसंस्करण के लिये मूल्यवान खनिजों, धातुओं, कुचला हुआ पत्थर, रेत और बजरी को निकालने के लिये प्राकृतिक पर्यावरण (स्थलीय, नदी, तटीय या समुद्री) से प्राथिमक प्राकृतिक रेत एवं रेत संसाधनों (खनिज रेत और समुच्चय) को हटाना है।
- विभिन्न कारकों से प्रेरित यह गितविधि पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

सोन नदी

- सोन नदी, मध्य भारत की एक चिरस्थायी नदी है और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है।
- **छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी** के पास से निकलकर, यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है तथा अमरकंटक पठार पर जलप्रपात बनाती है।
 - यह बिहार के पटना के निकट गंगा में मिल जाती है।
- सहायक निदयों में घाघर, जोहिला, छोटी महानदी, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोएल नदी शामिल हैं।
- प्रमुख बाँधों में मध्य प्रदेश में बाणसागर बाँध और उत्तर प्रदेश में पिपरी के पास रिहंद बाँध शामिल हैं।




कुनो राष्ट्रीय उद्यान का चीता भटककर राजस्थान पहुँचा

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों में से एक लगभग 50 किमी. तक भटकता हुआ राजस्थान के करौली में पहुँच गया।

हालाँकि उसे शांत कर दिया गया और उसी शाम सुरक्षित वापस लौटा दिया गया।

- वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चीता ने संभवत: चंबल नदी के रास्ते का अनुसरण किया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के करौली से होकर बहती है।
 - यह भारत की सबसे प्रदूषण मुक्त निदयों में से एक है।
 - यह 960 किमी. लंबी नदी है जो विंध्य पर्वत (इंदौर, मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। वहाँ से यह
 मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किमी. तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किमी. उत्तर-पूर्व दिशा में प्रवाहित
 होती है।
 - यह यू.पी. के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किमी. तक बहती है।
 - यह एक वर्षा सिंचित नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत शृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती हैं।
 - सहायक निद्याँ: बनास, काली सिंध, पार्वती।
 - मुख्य विद्युत परियोजनाएँ ∕बाँध: गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
 - ♦ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिये जाना जाता है।



चीता (Cheetah)



सामान्य नामः एशियाई चीता

वैज्ञानिक नामः एसिनोनिक्स जुबेटस (Acinonyx jubatus)

- **➡ एसिनोनिक्स जुबेटस** जुबेटस (एशियाई चीता)
- **♥ एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस** (अफ्रीकी चीता)

विशेषताएँ:


- विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी
- चीते अपनी क्षमता के बजाय गित के लिये जाने जाते हैं; जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो यह केवल 200-300 मीटर के लिये तथा 1 मिनट से कम अविध का होता है।
- शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्द्धा से बचने के लिये चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं।

अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीताः

- अफ्रीकी: हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा; एशियाई चीते से मोटी
 - चेहरों पर धब्बों तथा रेखाओं की प्रधानता
 - पूरे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं
 - 🍁 IUCN रेडलिस्ट में स्थितिः सुभेद्य (Vulnerable)
- एशियाई: अफ्रीकी चीतों से थोड़े छोटे
 - र्भ हिल्के पीले रंग की त्वचाः शरीर के नीचे विशेष रूप से पेट <mark>पर अधिक</mark> बाल
 - केवल ईरान में पाए जाते हैं; देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल 12 चीते शेष हैं।
- वर्ष 1952: एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित किया गया
 - IUCN रेडलिस्ट में स्थितिः घोर संकटग्रस्त (Critically Endangered)

भारत में चीतों का पुनर्वासः

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में MoEF-CC हारा "भारत में चीता पुनर्वास के लिये कार्ययोजना" जारी की गई थी। (जनवरी 2022)
 - इसी तरह की एक कार्ययोजना सर्वप्रथम वर्ष 2009 में प्रस्तावित की गई थी।
- सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया।
 - इन आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।





एशियाई चीता



सरकारी स्कूलों का निम्नस्तरीय बुनियादी ढाँचा

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू की है। हालाँकि यहाँ निम्नस्तरीय बुनियादी ढाँचा और कक्षाओं में शिक्षकों की अनुपस्थिति है।

मुख्य बिंदुः


- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटने का प्रयास करती है।
 - यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए, सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG4) सिंहत 21 वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के साथ सरिखित एक आधुनिक प्रणाली स्थापित करने के लिये इसके नियमों एवं प्रबंधन के साथ शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का आह्वान करता है।
 - ♦ यह वर्ष 1992 में संशोधित (NPE 1986/92) 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, का स्थान लेती है।
- मध्य प्रदेश में हाई स्कूल के नतीजे छह वर्ष से लगातार खराब रहे हैं और वर्ष 2023 में गणित व अंग्रेज़ी में बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं।
- जबिक सर्व शिक्षा अभियान और उसके बाद के प्रयासों के साथ आपूर्ति पक्ष पर स्कूलों में सुधार हेतु बहुत कुछ िकया गया है, स्कूलों में
 अधिगम के कायाकल्प तथा पुन: कल्पना की आवश्यकता है।
- समग्र शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाएँ शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में नौ सीटों पर मतदान

चर्चा में क्यों?

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की नौ सीटों- मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, भोपाल और बैतूल में लगभग 66.5% मतदान हुआ।

- राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा साझा किये गए आँकड़ों के अनुसार, राजगढ़ में 76.19% मतदाताओं के साथ सबसे अधिक मतदान हुआ, जबिक चंबल डिवीज़न के भिंड में राज्य में सबसे कम 55.44% मतदान दर्ज किया गया।
- अब तक मध्य प्रदेश की 21 सीटों पर पहले तीन चरणों का मतदान हो चुका है, जबिक बाकी आठ सीटों पर 13 मई, 2024 को चौथे
 चरण का मतदान होगा।



मध्य प्रदेश में पुनर्मतदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के चार बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया।

मुख्य बिंदुः

- पुनर्मतदान 10 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहाँ शुष्क दिवस (Dry Day) और छुट्टी की घोषणा की गई है।
- बैतूल लोकसभा सीट पर अनुमानित 72.65% मतदान दर्ज किया गया।
- बैतूल मध्य प्रदेश की नौ सीटों में से एक थी, जहाँ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- EVM एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों/मतों को रिकॉर्ड करने के लिये किया जाता है। इनका प्रयोग पहली बार वर्ष 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था।
 - ♦ वर्ष 1998 के बाद से, चुनाव आयोग ने मतपेटियों के बजाय EMV का उपयोग तेज़ी से किया है।
 - ♦ वर्ष 2003 में, सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव EMV का प्रयोग करके आयोजित किये गए थे।
 - इससे उत्साहित होकर वर्ष 2004 में आयोग ने लोकसभा चुनावों में केवल EMV का प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

केंद्र की स्वीकृति मिलते ही मध्य प्रदेश में CAA लागू

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलते ही राज्य में <mark>नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019</mark> लागू किया जाएगा।

मुख्य बिंदुः

- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की नीतियाँ पूर्णत: मेल खाती हैं। उन्होंने केंद्र के निर्देश मिलते ही CAA को लागू करने के लिये अपनी पूरी तत्परता पर जोर दिया।
- मध्य प्रदेश **लोकसभा चुनाव- 2024** में **आठ सीटों के लिये चौथे चरण का मतदान** 13 मई 2024 को होगा।
 - मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा के लिये मतदान होगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा वैधता समाप्त होने व परिमट पर यहाँ रहने के लिये सजा निर्दिष्ट करते हैं।

ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में <mark>राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव</mark> जोन में पत्थर तोड़ने वाले और खनन खदानों के **अवैध संचालन** की शिकायत पर गौर करने के लिये एक समिति का गठन किया।

मुख्य बिंदुः

- NGT के अनुसार, 337 टन रासायनिक अपिशष्ट के निपटान, भूजल प्रदूषण, पाइप से पानी की कमी और अनुमेय सीमा से अधिक लौह, मैंगनीज़ तथा नाइट्रेट सांद्रता की निगरानी के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थित है।
- यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में बेतवा नदी (यमुना की एक सहायक नदी) के पास स्थित है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैवविविधता में योगदान देती है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) अथवा पर्यावरण नाजुक क्षेत्र के रूप में घोषित करना चाहिये
- जबिक 10 किमी. का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू िकया गया है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है। 10 किमी.
 से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित िकया जा सकता है, यदि वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गिलयारे" रखते हैं।

जैवविविधता अधिनियम लागू करने हेतु समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** ने राज्य सरकार को <mark>जैवविविधता अधिनियम, 2002</mark> को लागू करने के लिये एक समिति गठित करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदुः

- हैदराबाद के एक व्यवसायी द्वारा बाओबाब वृक्षों के स्थानांतरण के खिलाफ आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रकाशित एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले को जनिहत याचिका (PIL) के रूप में सुनना शुरू किया।
 - रिपोर्ट में वृक्षों की विरासत एवं ऐतिहासिक मूल्य पर प्रकाश डाला गया है, जो अफ्रीका की मूल प्रजाति हैं, लेकिन संभवत: 10वीं और
 17वीं शताब्दी के दौरान स्थानीय इस्लामिक साम्राज्यों द्वारा नियुक्त अफ्रीकी सैनिकों द्वारा मध्य प्रदेश के इस कोने में लाए गए
 थे।
- राज्य सरकार ने बाद में धार के प्रसिद्ध बाओबाब वृक्षों के स्थानांतरण की अनुमित देने की शक्ति वन विभाग से छीन ली और निर्णय लिया कि यह केवल **राज्य जैवविविधता बोर्ड** द्वारा किया जा सकता है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002

यह अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था, इसका **उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण करना, इसके सतत् उपयोग** का प्रबंधन करना और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग तथा ज्ञान से उत्पन्न होने वाले **निष्पक्ष एवं न्यायसंगत लाभों को साझा** करना है।

बाओबाब वृक्ष (Baobab Trees)



- वृक्षों के प्रकार: बाओबाब पर्णपाती वृक्ष हैं जिनकी ऊँचाई 5 से 20 मीटर तक होती है।
 - पर्णपाती वन एक वनस्पित क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जो एक मौसम के दौरान अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं,
 पाए जाते हैं।
- क्षेत्र: अफ्रीकी बाओबाब (Adansonia digitata) बाओबाब की नौ प्रजातियों में से एक है और अफ्रीका की मूल प्रजाति है। ये अफ्रीकी सवाना में भी पाए जाते हैं।
 - अफ्रीकी सवाना पारिस्थितिकी तंत्र एक उष्णकिटबंधीय घास का मैदान है जहाँ पूरे वर्ष अधिक तापमान बना रहता है और गर्मियों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा होती है।
- ट्री ऑफ लाइफ जीवन वृक्ष: चूँकि अफ्रीकी बाओबाब एक गूदेदार (Succulent) पादप प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि वर्षा-ऋतु के दौरान यह वृक्ष अपने विशाल तने में जल को अवशोषित और संग्रहीत करता है तथा शुष्क मौसम में इन वृक्षों पर पोषक तत्त्वों से भरपूर फल लगते हैं।

दतिया- भारत का तीसरा सबसे गर्म स्थान

चर्चा में क्यों?

भारत <mark>मौसम विज्ञान विभाग</mark> के अनुसार, **मध्य प्रदेश के दितया ज़िले में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया** और यह तीसरा सबसे गर्म स्थान बन गया।


मुख्य बिंदुः

- दिल्ली के नजफगढ़ में देश में सबसे अधिक तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबिक आगरा में 47.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
- सूत्रों के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों के कुछ इलाकों में बारिश या आँधी आ सकती है।
- पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति का अनुभव किया जा सकता है।

हीट वेव

- परिचयः
 - हीट वेव, चरम गर्म मौसम की लंबी अविध होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
 - भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है।
- भारत में हीट वेव घोषित करने हेतु IMD के मानदंड:
 - ◆ यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों
 में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीटवेव की स्थिति माना जाता है।
 - ◆ यदि किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है, तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की
 वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
 - इसके अतिरिक्त **सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव की स्थिति** माना जाता है।
 - यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि को लू की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव की स्थिति माना जाता है।

■ इसके अतिरिक्त यदि **सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तिवक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस** या उससे अधिक रहता है, तो हीटवेव घोषित किया जाता है।



भोपाल में पहला सिटी म्युजियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **भोपाल में पहले शहरी संग्रहालय/सिटी म्यूज़ियम** की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। <mark>मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड मोती</mark> महल के बाएँ विंग में भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना कर रहा है।

मोती महल शहर का एक महत्त्वपूर्ण विरासत स्थल और उच्च महत्त्व की इमारत है।

- 11 दीर्घाओं वाला प्रस्तावित संग्रहालय भोपाल और मध्य प्रदेश के समृद्ध इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संदर्भ तथा विशेष रूप से भोपाल के गठन को शामिल किया जाएगा।
- प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पत्थर के औजारों, पुरातात्त्विक खोजों, टिकटों, भोपाल तथा आसपास के क्षेत्रों के राजाओं एवं रानियों की पोशाक, प्राचीन मूर्तियाँ, मंदिर के अवशेष और भोपाल नवाब काल की उत्कृष्ट कला का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा।
 - 🔷 सभी आयु समूहों हेतु एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण अनुभव बनाने के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश सरकार का संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भोपाल के मोती महल के दाहिने हिस्से में परमार राजा भोज, उनके जीवन और कार्यों पर एक समर्पित तथा व्यापक संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- जनजातीय समुदाय की जीवनशैली को करीब से समझने तथा देखने के लिये भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश की सात प्रमुख जनजातियों गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल के सात घर बनाए गए हैं।
 - ♦ इस पहल का मकसद आदिवासी समाज से जुड़े मिथकों और मान्यताओं को खत्म करना है।

मध्य प्रदेश पर्यटन अनुभव को बढाने के लिये प्रासंगिक विरासत और सांस्कृतिक स्थलों पर विभिन्न **थीम-आधारित संग्रहालय** स्थापित करने की योजना बना रहा है।

मोती महल

- मोती महल का निर्माण गढ़ मंडला के गोंड राजा हृदय शाह ने वर्ष 1651 से 1667 के बीच कराया
- महल भूलभुलैया, गुप्त सुरंगों और भूमिगत मार्गों से भरा है।
- वास्तुकला- मुगल वास्तुकला।

राजा भोज

- परमार वंश (1018-1060) में राजा भोज सबसे महान थे।
- उन्होंने हिंदू समाज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी।
- वह एक महान योद्धा होने के साथ-साथ एक निपुण विद्वान भी थे।
- उन्होंने अपनी राजधानी में भोजशाला नामक एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया।
- उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थीं:
 - आयुर्वेद संग्रह
 - युक्ति कल्पतरु
 - समरंगा सुथराधारा (वास्तुकला से संबंधित)।
- वह एक महान निर्माता भी थे और माना जाता है कि उन्होंने 104 मंदिर तथा एक खूबसूरत झील भी बनवाई थी जिसे भोजपुर झील के नाम से जाना जाता है।
- राजा भोज की मृत्यु के साथ परमार वंश की शक्ति समाप्त हो गई।



GAIL का पेट्रोकेमिकल यूनिट में निवेश

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, राज्य संचालित गैस आपूर्तिकर्ता GAIL (इंडिया) ने मध्य प्रदेश के सीहोर में 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) **इंथेन** क्रैकिंग युनिट स्थापित करने के लिये 50,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की योजना बनाई है।

- नई सुविधा का लक्ष्य पेट्रोकेमिकल्स की भारी घरेलू मांग को पूरा करना है, जिसके वर्ष 2040 तक लगभग तीन गुना बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
 - ♦ ईथेन एक प्राकृतिक गैस घटक है जिसे एथिलीन में विभाजित किया जाता है, जो प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, सिंथेटिक रबर और अन्य पेट्रोकेमिकल के उत्पादन हेतु एक महत्त्वपूर्ण निविष्टि है।

- वर्तमान में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दहेज, हजीरा (गुजरात) और नागोथेन (महाराष्ट्र) में अपने पटाखों के लिये 1.5 MTPA ईथेन का आयात करने वाली एकमात्र भारतीय इकाई है।
- गेल का नया ईथेन क्रैकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पतारा में उसकी मौजूदा 810 हज़ार टन प्रतिवर्ष (KTA) पेट्रोकेमिकल सुविधा को लगभग दोगुना कर देगा।
 - ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिये विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है,
 जिसके अगले 5-6 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है।
- प्रारंभ में, GAIL ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद या दाभोल में अपने 5 MTPA तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र के पास नई सुविधा स्थापित करने पर विचार किया, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश पर निर्णय लिया।

GAIL (इंडिया) लिमिटेड

- यह भारतीय स्वामित्व वाली एक ऊर्जा निगम है जिसका प्राथमिक हित प्राकृतिक गैस के व्यापार, पारेषण और उत्पादन वितरण में
 है
- इसकी स्थापना HVJ गैस पाइपलाइन के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत अगस्त
 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में की गई थी
- 1 फरवरी 2013 को, भारत सरकार ने 11 अन्य **स**ा**र्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU)** के साथ GAIL को **महारत्न का दर्जा** प्रदान किया।

न्यायमूर्ति शील नागूः नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** के <mark>कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश</mark> के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदुः

- वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रिव मिलमिथ के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो 24 मई 2024 को पद छोड देंगे।
- 27 मई 2011 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
 और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- भारत के संविधान का अनुच्छेद-223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
- इसके अनुसार, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कर सकता है।

मध्य प्रदेश पर्यटन ने बनाया नया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, **मध्य प्रदेश** ने राज्य के <mark>पर्यटन</mark> के लिये एक **ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2023 में 110 मिलियन से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया।**

मुख्य बिंदुः

- वर्ष 2023 में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और वर्ष 2022 में 34.1 मिलियन की तुलना में 112.1 मिलियन पर्यटक आए।
 - भारत के सबसे पिवत्र शहरों में से एक के रूप में जाना जाने वाला उज्जैन, 52.8 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित करते हुए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा।
- राज्य के शीर्ष दस सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से पाँच प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल थे, जिनमें उज्जैन, मैहर, चित्रकूट,
 ओंकारेश्वर और सलकनपुर शामिल हैं, जो आध्यात्मिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
 - ♦ उज्जैन में महाकाल लोक और ओंकारेश्वर में एकात्म धाम जैसी प्रमुख पहलों ने आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 मई को मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अपने पर्यटन क्षेत्र के पोषण हेतु राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

श्री महाकाल लोक

- ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाकालेश्वर द्वारा शासित है जिसका अर्थ है 'समय के भगवान' यानी भगवान शिव। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह पवित्र नदी क्षिप्रा के किनारे स्थित है।
- उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के 18 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है।
 - यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है जबिक अन्य सभी का मुख पूर्व की ओर है। ऐसा इसिलये क्योंकि मृत्यु
 की दिशा दक्षिण मानी जाती है।
 - दरअसल, लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिये महाकालेश्वर की पूजा करते हैं।
- पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मांड में प्रकाश के एक अखंड स्तंभ के रूप में प्रवेश किया।
 - ♦ इनमें महाकाल के अलावा गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मिल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्रियंबकेश्वर व घृष्णोश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, झारखंड में बैद्यनाथ तथा तिमलनाडु में रामेश्वरम शामिल हैं।

मध्य प्रदेश का बौद्ध सर्कििट

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के **साँची में बौद्ध सर्किट** ने <mark>बुद्ध पूर्णिमा</mark> के लिये पूरे विश्व से कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया, जो प्रत्येक वर्ष 23 मई 2024 को बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है।

- मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) एक बौद्ध सर्किट विकसित कर रहा है जो साँची और राज्य के अन्य स्थलों को देश के बौद्ध धर्म के दो प्रमुख केंद्रों बोधगया तथा सारनाथ से जोड़ेगा।
- इसका उद्देश्य इन स्थानों पर आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को मध्य प्रदेश में बौद्ध विरासत स्थलों के बारे में शिक्षित करना है।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत, MPTB ने साँची, मंदसौर, धार, सतना, रीवा, सतधारा, सोनारी, मुरेल खुर्द और ग्यारसपुर जैसे स्थलों को विकसित करने के लिये 70 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
- इस परियोजना में **मार्शल हाउस, तलहटी, पहुँच मार्ग,** पहाड़ी, लाइट एंड साउंड शो, साँची में पर्यटक सुविधा केंद्र, **चैतन्य गिरि विहार** के आस-पास परिदृश्य, साँची के आधार पर स्थित **कनक सागर झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण,** एक बौद्ध थीम पार्क, स्क्वायर रोड जंक्शन का सौंदर्यीकरण, रेलवे स्टेशन से स्तूप के तलहटी तक पथ में सुधार और सतधारा, सोनारी, मुरेल खुर्दा, ग्यारसपुर में ध्यान कियोस्क तथा परिसर का निर्माण शामिल है।

बुद्ध पूर्णिमा



- बुद्ध पूर्णिमा को 'वेसाक' के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म का स्मरण कराती है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की।
- बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार सामान्यत: अप्रैल या मई माह में मनाया जाता है, यह हिंदू माह वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है एवं विशिष रूप से इसका आयोजन दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में किया जाता है।
- बुद्ध पूर्णिमा को 'तिहरा-धन्य दिवस' माना जाता है क्योंकि यह बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वर्ष 1999 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 'UN वेसाक दिवस' के रूप में मान्यता दी गई।

स्वदेश दर्शन योजना

- इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है- बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट।
- यह केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ उठाने के प्रयास किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में लू से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हीटस्ट्रोक से सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई।

मुख्य बिंदुः

- उप-निदेशक (पशु चिकित्सा) के अनुसार, लू लगने से लगभग 250 चमगादड़ों की मौत हुई है
- चमगादड़ रात्रिचर जीव हैं, जो आमतौर पर सुबह-सुबह अपने निर्दिष्ट पेड़ों पर शरण लेते हैं।

चमगादड:

- भारत में चमगादड़ों की 135 प्रजातियों पाई जाती हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर जीव है।
- चमगादड़ आमतौर पर फलों का सेवन करते हैं तथा बीज के स्थानः तरण द्वारा परागण में मदद करते हैं, लेकिन कृषि को नुकसान भी पहुँचाते
 हैं जिसके कारण ये 'कीड़े' के रूप में भी जाने जाते हैं।
- अवैध शिकार, मांस की खपत, पारंपरिक दवाओं में उपयोग, जलवायु परिवर्तन**, पर्यावरण प्रदूषण** और जैविक आक्रमण के कारण दुनिया भर में चमगादडों की आबादी में गिरावट आई है।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भीषण आग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में भीषण आग लग गई। इस कारखाने में वर्ष 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट (Methyl Isocyanate- MIC) गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग दिव्यांग हो गए थे।

मुख्य बिंदुः

- यहाँ लगी आग पर करीब एक घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।
- आग की इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों में इस बात को लेकर भय व्याप्त है कि इससे निकलने वाला धुआँ उनके शरीर पर क्या
 प्रभाव डालेगा।
- वर्ष 1984 की गैस त्रासदी के बाद इस कारखाने को बंद कर दिया गया था।

भोपाल गैस त्रासदी

- परिचय:
 - भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी जो 2-3 दिसंबर, 1984 की रात भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) कीटनाशक संयंत्र में घटित हुई थी।

इस दुर्घटना में लोगों और पशुओं के अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) के संपर्क में आने के कारण तत्काल
 मौतें तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए।

गैस रिसाव का कारण:

- गैस रिसाव का सटीक कारण अभी भी कॉर्पोरेट लापरवाही या कर्मचारियों की अनदेखी के बीच विवादित है। हालाँकि इस आपदा के कुछ कारक निम्नलिखित हैं:
 - UCIL संयंत्र में खराब रखरखाव वाले टैंकों में बड़ी मात्रा में MIC का भंडारण किया जा रहा था जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और वाष्पशील रसायन है।
 - वित्तीय घाटे और बाजार प्रतिस्पर्द्धा के कारण संयंत्र का संचालन कम कर्मचारियों और सुरक्षा मानकों के साथ किया जा रहा
 था।
 - संयंत्र घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित था, जहाँ आस-पास के निवासियों हेतु कोई उचित आपातकालीन योजना या चेतावनी प्रणाली नहीं थी।
 - आपदा की रात जल की बड़ी मात्रा MIC भंडारण टैंकों (E610) (संभवत: दोषपूर्ण वाल्व या असंतुष्ट कार्यकर्त्ता द्वारा जान-बुझकर की गई तोडफोड़ की वजह से) में से एक में प्रवेश कर गई।
- इसने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया और टैंक के अंदर तापमान एवं दबाव को बढ़ा दिया, जिससे वह फट गया और बड़ी मात्रा MIC गैस वातावरण में उत्सर्जित हो गई।

मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन

चर्चा म क्यों?

GAIL (इंडिया) लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

- विजयपुर परिसर में हरित-हाइड्रोजन उत्पादन इकाई के लिये 10 मेगावाट का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज़र कनाडा से आयात किया गया है।
- संयंत्र प्रतिदिन लगभग 4.3 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, आयतन के हिसाब से जिसकी मात्रा लगभग 99.999% शुद्ध होगी। इस हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में जलवैद्युत अपघटन के लिये सौर ऊर्जा
- नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है।
 - ◆ यह संयंत्र राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen mission) के अनुरूप है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश के लिये 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
 - भारत द्वारा अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- प्रारंभ में इस इकाई से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग विजयपुर में मौजूदा संयंत्र में चल रही विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों में कैप्टिव उद्देश्य के लिये प्राकृतिक गैस के साथ ईंधन के रूप में किया जाएगा।
- इसके अलावा, इस हाइड्रोजन ऊर्जा को आस-पास के भौगोलिक क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों को हाई प्रेशर कैस्केड के माध्यम से वितरित करने की योजना बनाई गई है।
- GAIL 10 मेगावाट PEM इलेक्ट्रोलाइजर के लिये हरित ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विजयपुर में लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र (भू-स्थापित और तैरते हुए दोनों) स्थापित कर रहा है।
- GAIL द्वारा वर्तमान में अपनी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिये अपने **CGD (शहरी गैस वितरण) नेटवर्क** में **प्राकृतिक** गैस के साथ हाइड्रोजन को मिश्रित कर इंदौर में प्रयोग किया जा रहा है।

- ♦ सफल होने पर परीक्षण परिणामों के अनुसार योजना का लक्ष्य आवश्यक अनुमोदन के साथ सम्मिश्रण अनुपात को बढ़ाना है।
- वर्तमान नियम प्राकृतिक गैस के साथ 5% तक हाइड्रोजन मिश्रण की अनुमित देते हैं। प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के उच्च मिश्रण स्तर का पता लगाने के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT कानपुर के साथ GAIL द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान किया जा रहा है।



मध्य प्रदेश STSF ने विदेशी सामान ज़ब्त किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) ने देवास जिले में छापेमारी के दौरान एक इगुआना और एक एम्परर स्कॉर्पियन को जब्त किया। यह कार्रवाई संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के नियम 49 M के तहत पहली बार लागू की गई।

धारा 49 M में **CITES** के परिशिष्टों और अधिनियम की **अनुसूची IV** में सूचीबद्ध जीवित अनुसूचित पशु प्रजातियों के अधिकरण के पंजीकरण, हस्तांतरण तथा जन्म व मृत्यु की रिपोर्टिंग का प्रावधान है।

मुख्य बिंदुः

- दोनों प्रजातियों को WPA 1972 और CITES विनियमों की अनुसूची IV के परिशिष्ट II में वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत
 व्यापार तथा कैद में रखने के लिये विशेष परिमट की आवश्यकता होती है।
- बचाए गए जीवों को फिलहाल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।
- यह घटना हाल ही में जीवित पशु प्रजाति (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 के लागू होने के साथ मेल खाती है, जिसके तहत
 31 अगस्त 2024 तक PARIVESH पोर्टल पर CITES-सूचीबद्ध पशुओं के अधिकरण, जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- इसका अनुपालन न करने पर वैधानिक परिणाम भुगतने होंगे।

जीवित पशु प्रजातियाँ (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024

- मुख्य प्रावधानः
 - ◆ इन प्रजातियों को वन्य जीव और वनस्पित की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत स्चीबद्ध किया गया है।
 - यह पंजीकरण आवश्यकता जीव-जंतुओं के किसी भी हस्तांतरण या उनकी संतित के जन्म पर भी लागू होती है, नियम ऐसे पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
 - इसमें कहा गया है कि सूचीबद्ध पशु प्रजातियों में से किसी भी जीवित सैंपल को रखने वाले सभी व्यक्तियों को इन नियमों के लागू होने की तिथि से छह महीने की अविध के भीतर और उसके बाद ऐसी पशु प्रजातियों के अधिकरण में आने के 30 दिनों के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।

PARIVESH पोर्टल

• PARIVESH एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) स्वीकृति प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति एवं निगरानी हेतु विकसित किया गया है।

मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ मिलीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मध्य प्रदेश स्थित घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान** में एक खोज की गई, जहाँ **बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व** में अनुसंधान कर रहे **सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय के पुरातत्त्विवदों** के एक दल को जीवाश्म काष्ठ से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ मिलीं।


मुख्य बिंदुः

- यह खोज दर्शाती है कि प्रागैतिहासिक चलवासी लोग पेड़ के लट्ठों को अपने औजारों और वस्तुओं को बनाने के लिये संसाधन के रूप में उपयोग करते थे।
- जीवाश्म लकड़ी / काष्ठ से बने औजार भारत में आम नहीं हैं तथा ये काफी दुर्लभ हैं, केवल तमिलनाडु, राजस्थान और त्रिपुरा में ही इनके कुछ उदाहरण पाए जाते हैं।
 - ♦ हालाँकि घुघवा में खोजी गई कलाकृतियों की आयु अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि वे कम-से-कम 10,000 वर्ष पुरानी हैं।
 - ◆ इन कलाकृतियों में मध्यम आकार के टुकड़े शामिल थे जिनकी लंबाई लगभग पाँच सेमी. थी।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, आस-पास के क्षेत्र में लगभग दो सेमी. लंबे कुछ **माइक्रोलिथ** भी पाए गए।
- मध्य प्रदेश में कई प्राचीन स्थल हैं जैसे भीमबेटका, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का विश्व धरोहर स्थल है, हथनोरा (जहाँ नर्मदा बेसिन से जीवाश्म हिंड्डयों के रूप में एक महिला की खोपड़ी का टुकड़ा पाया गया था) इसके अलावा नीमटोन, पिलिकर और महादेव पिपरिया जैसे स्थल भी हैं।
 - ♦ इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्वार्टज़ाइट, चर्ट और बलुआ पत्थर जैसी सामग्रियों से बने उपकरण पाए गए हैं।
- हालाँकि, जीवाश्म उद्यान में हाल ही में हुई खोज से पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी जीवाश्म लकड़ी का उपयोग करते थे, जो यह दर्शाता है कि वे केवल पत्थर के संसाधनों पर निर्भर नहीं थे।

घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म

- यह डिंडोरी से 70 किलोमीटर दूर घुगवा गाँव में स्थित है।
- यह 75 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बसा हुआ है, जहाँ पत्तियों और पेड़ों के रोचक एवं दुर्लभ जीवाश्म की खोज जारी है।
- स राष्ट्रीय उद्यान में **पादप जीवाश्म रूप में** हैं जो भारत में लगभग 40 मिलियन से 150 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद थे।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व



- परिचयः वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया तथा वर्ष 1993 में पड़ोसी पनपथा अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
- भौगोलिक पहलूः यह मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर-पूर्वी सीमा और सतपुड़ा पर्वत शृंखला के उत्तरी किनारे पर स्थित है।
- जलवायः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र।
- जैवविविधता: मुख्य भूमि में बाघों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ स्तनधारियों की 22 से अधिक प्रजातियाँ और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
 - उपस्थित प्रजातियाँ: एशियाई सियार, बंगाल फॉक्स, स्लॉथ बियर, स्ट्राइप्प्ड हायना, तेंदुआ और बाघ, जंगली सूअर, नीलगाय, चिंकारा तथा गौर (एकमात्र शाकाहारी)।

मध्य प्रदेश की नदियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थित **निदयों व तालाबों से अतिक्रमण हटाने का अभियान** शुरू होगा, जिसमें शहर की **सरस्वती व कान्ह नदी** भी शामिल है।

मुख्य बिंदुः

- अभियान के तहत निदयों के 30 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये। शहर और मास्टर प्लान क्षेत्र
 के चिह्नित 20 तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के 56 तालाबों से भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
- इन तालाबों में सीवर का जल (अपशिष्ट जल) न जाने पाए, इसके लिये ठोस प्रबंधन सुनिश्चित किये जाएँ। शहर सिहत पूरे ज़िले में वृक्षारोपण का महा-अभियान भी चलाया जाएगा।

सरस्वती नदी

- यह इंदौर से होकर बहने वाली नदी है। इसमें अलवण जल नहीं है, बिल्क यह मुख्य रूप से कान्ह नदी के प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो गई है।
- यह नदी क्षिप्रा नदी के माध्यम से एक बड़े जल निकाय में बहती है।
 - मध्य प्रदेश में चंबल नदी की एक सहायक नदी शिप्रा (क्षिप्रा) मालवा पठार से होकर बहती है।
 - यह विंध्य पर्वतमाला में काकरी-टेकड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है, जो धार के उत्तर में है और उज्जैन के पास स्थित है।
 - कान्ह और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक निदयाँ हैं।

कान्ह नदी

- कान्ह इंदौर से होकर बहने वाली एक नदी है। 1990 के दशक की शुरुआत में इस नदी में सीवेज का अपिशष्ट जल मुक्त होना शुरू हुआ
 था। नदी को साफ करने के कई प्रयास किये गए हैं, फिर भी यह प्रदूषित है।
- सरस्वती नदी के साथ यह नदी **स्मार्ट सिटी इंदौर परियोजना** का हिस्सा है और नदी के किनारे 3.9 किलोमीटर का रिवरफ्रंट पहले ही विकसित किया जा चुका है। **स्मार्ट सिटी मिशन** के तहत दोनों नदियों का कायाकल्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के तहत कान्ह और सरस्वती निदयों की सफाई के लिये 511.15 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं।

मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी (हीट वेव) की स्थित के लिये रेड अलर्ट जारी किया है।

मुख्य बिंदुः

- IMD भोपाल के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य के ग्वालियर, भिंड, दितया, मुरैना और निवाड़ी ज़िलों में भीषण गर्मी (हीट वेव) पड़ने की संभावना है
- इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है तथा तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना।
- इसी तरह विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमिरया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भीषण गर्मी पड़ेगी।

हीट वेव (Heat Waves)

- परिचय:
 - ♦ हीट वेव, चरम गर्म मौसम की लंबी अविध होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
 - ◆ भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है।
- भारत में हीट वेव घोषित करने हेतु मानदंड:.
 - मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र
 - यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों
 में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
 - ♦ हीट वेव के मानक से विचलन का आधार: विचलन 4.50 डिग्री सेल्सियस से 6.40 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
 - ♦ चरम हीट वेव: सामान्य से विचलन>6.40°C है।
- वास्तिवक अधिकतम तापमान हीट वेव पर आधारितः जब वास्तिवक अधिकतम तापमान ≥45°C हो।
- चरम हीट वेवः जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥47 डिग्री सेल्सियस हो।
 - यदि एक मौसम विज्ञान उपखंड के भीतर कम-से-कम दो स्थान न्यूनतम दो दिनों के लिये उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसकी घोषणा दूसरे दिन की जाती है।
- तटीय क्षेत्रः
 - जब अधिकतम तापमान विचलन सामान्य से 4.50 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक होता है, तो इसे हीट वेव कहा जा सकता है,
 बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो।

+ + + +